फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)
सचिन बनाम लालचन्द वगै.
दीवानी वाद संख्या –46/2012
सी.आई.एस संख्या– 508/2014

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.02.2026	वकील पक्षकारान उपस्थित। गवाह सचिन खण्डेलवाल उपस्थित। प्रार्थी/प्रतिवादी संख्या 1/2/2 मोहित की ओर से एक प्रार्थना पत्र उसके अधिवक्ता श्री इन्द्रेश के. रामचन्दानी ने प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र की नकल अधिवक्ता वादी को दिलाई गई। जिन्होने प्रार्थना पत्र का जबाव प्रस्तुत नही करना चाहा। जिस पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए उपस्थित गवाह की साक्ष्य लेखबद्व ना कर पत्रावली में पहले आदेश 07नियम 11 जा.दी. का प्रार्थना पत्र निर्णित करने हेतु निवेदन किया एवं साथ ही प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. दिनांकित 30.11.2015 की लिखित बहस प्रस्तुत की। इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता वादी ने उक्त प्रार्थना पत्र का मोखिक विरोध करते हुए उपस्थित गवाह के साक्ष्य आज ही लेखबद्व किये जाने का निवेदन किया एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. को अंतिम बहस के समय निस्तारित करने हेतु निवेदन किया। हमने उभयपक्षो के तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय की आदेशिका दिनांकित 01.08.2016 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि इस न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 जा.दी. को लंबितरत हस्तगत प्रकरण में विचारण जारी रखने के आदेश दिये है। ऐसी स्थिति में आज उपस्थित गवाह की साक्ष्य डैफर किया जाना न्यायसंगत नही है। उभयपक्षकारों को यह आदेशित किया जाता है कि वे	

इस गवाह की साक्ष्य लेखबद्व करावे।

गवाह पी.डब्लयू 01 सचिन खण्डेलवाल के मुख्य परीक्षण के दौरान वादीगण के दस्तावेजों को प्रदर्शित कराये जाने के संबंध में एक आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1/2/2 की ओर से प्रस्तुत हुआ जिसकी नकल अधिवक्ता वादीगण को दिलाई गई। जिन्होने इस प्रार्थना पत्र का कोई जबाव प्रस्तुत न कर सीधे बहस करना जाहिर किया। जिस पर बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए समय चाहा। न्यायहित में अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते प्रस्तुत करने न्यायिक दृष्टांत एवं आदेश प्रार्थना पत्र हेतु दिनांक **11.02.2026** को पेश हो।

(संदीप आनन्द)

फर्द अहकाम

अज अदालत अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, संख्या 1,
किशनगढ अजमेर (राज0)
सचिन बनाम लालचन्द वगै.
दीवानी वाद संख्या –46/2012
सी.आई.एस संख्या– 508/2014